न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– 276 / 2024

GCMS NO. 2024/512

मन्दरूप सिंह पुत्र हरि सिंह, उम्र (वर्ष), जाति– राजपूत, निवासी: ग्राम– ढाणी बाढान, तहसील – खेतड़ी, जिला – झुन्झुनू (राज.)

..................वादी

– बनाम –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)
2. मक्खन सिंह पुत्र हरि सिंह
3. कमला पत्नी हरि सिंह
4. मन्जू कंवर पत्नी प्रवीण सिंह

   2 लगायत 4 जाति– राजपूत, निवासी: ग्राम ढाणी बाढान, तहसील– खेतड़ी, जिला– झुन्झुनू (राज.)

.... प्रतिवादीगणगण

वाद – घोषणात्मक एवं नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं
धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकीलवादी – श्री विजय सिंह शेखावत

–: निर्णय :– दिनांक :– 01/12/25

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादी की ओर से पेश किया गया है कि:–

वाके राजस्व ग्राम जसरापुर, पटवार हल्का जसरापुर, भू–अभि.नि.क्षेत्र– जसरापुर, तहसील – खेतड़ी, जिला– झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी अन्तिम चौसाला सम्वत् 2073 लगायत 2076 के हाल खाता संख्या नया 43 के हाल खसरा नम्बर 486 रकबा 6.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 487 रकबा 1.8100 हैक्टेयर, कुल किता खसरा 2 कुल रकबा 7.8200 हैक्टेयर भूमि में वादी हिस्सा 1/48 का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा शेष हिस्सा उक्त खाते में दर्ज अन्य प्रतिवादीगण का है। व[illegible] पटवार हल्का जसरापुर, भू–अभि.नि.क्षेत्र– जसरापुर, तहसील– खेतड़ी, जिला– [illegible] (राज.) स्थित जमाबन्दी अन्तिम चौसाला सम्वत् 2075 लगायत 2078 [illegible] 222 के हाल खसरा नम्बर 515 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 517 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 518 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा न[illegible] हैक्टेयर, कुल किता खसरा 4 कुल रकबा 4.9800 हैक्टेयर भूमि में वादी हिस्सा 1/48 का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा शेष हिस्सा उक्त खाते में दर्ज अन्य प्रतिवादीगण का है। उपरोक्त वर्णित भूमि में सहवन से टंकणीय त्रुटि के कारण या राजस्व कर्मचारियों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:00:29 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

गलती से वादी का नाम 'मन्दरूप सिंह पुत्र हरि सिंह' के स्थान पर 'शेर सिंह पुत्र हरि सिंह' दर्ज हो गया जबकि वादी का वास्तविक सही नाम 'मन्दरूप सिंह पुत्र हरि सिंह' है जो वादी के समस्त दस्तावेज व अन्य रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, फोटो पहचान पत्र में वादी का नाम 'मन्दरूप सिंह पुत्र हरि सिंह' ही दर्ज है केवल राजस्व रिकॉर्ड में ही वादी का नाम गलत दर्ज है । सरपंच का प्रमाण–पत्र संलग्न है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है । राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम अलग–अलग दर्ज होने से वादी को काफी परेशानी आ रही है। वादी को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे व भूमि पर किसान कार्ड बनवाने में परेशानी होती है व वादी राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है, इसलिए वादी को अपने सही नाम की उदघोषणा करवाने बाबत यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाके राजस्व ग्राम – जसरापुर, तहसील–खेतड़ी में जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के हाल खाता संख्या नया 43 के हाल खसरा नम्बर 486 रकबा 6.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 487 रकबा 1.8100 हैक्टेयर, कुल किता खसरा 2 कुल रकबा 7.8200 हैक्टेयर भूमि और राजस्व ग्राम ढाणी बाढान, तहसील–खेतड़ी स्थित सम्वत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या नया 222 के हाल खसरा नम्बर 515 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 517 रकबा 2.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 518 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 519 रकबा 2.5300 हैक्टेयर, कुल किता खसरा 4 कुल रकबा 4.9800 हैक्टेयर भूमि में वादी के गलत दर्ज नाम 'शेर सिंह पुत्र हरि सिंह' के स्थान पर वादी के सही नाम 'मन्दरूप सिंह पुत्र हरि सिंह' की उदघोषणा की जावे तथा तदुपरान्त राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 02 लगायत 04 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 01 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./2025/2208 दिनांक 28.08.2025 से बिन्दूवार जांच रिपोर्ट मय पटवारी हल्का जसरापुर की मूल रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता सं. नया 222 ग्राम ढ़ाणी बाढ़ा एवं जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. नया 43 ग्राम जसरापुर तथा प्रमाण पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत मानोता जाटान एवं वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की। मक्खन सिंह पुत्र हरि सिंह एवं महेश सिंह पुत्र प्रवीण सिंह की ओर [illegible] शपथ पत्र पेश किए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:00:29 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार खेतड़ी व पटवार हल्का जसरापुर की बिन्दूवार जांच रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार खेतड़ी के पत्र भू.अ./2025/2208 दिनांक 28.08.2025 की जांच रिपोर्ट के द्वारा जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता सं. नया 222 ग्राम ढ़ाणी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

बाढ़ा एवं जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. नया 43 ग्राम जसरापुर में दर्ज वादी **शेर सिंह पुत्र हरि सिंह** के स्थान पर **मन्दरूप सिंह पुत्र हरि सिंह** दुरूस्त किये जानी की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ढ़ाणी बाढ़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता सं. नया 222 एवं ग्राम जसरापुर जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. नया 43 में वादी को वर्तमान में दर्ज नाम **शेर सिंह पुत्र हरि सिंह** के स्थान पर **मन्दरूप सिंह पुत्र हरि सिंह** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/12/25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:00:29 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मन्दरूपसिंह – ब ना म – राज० सरकार

दावा बाबत घोषणात्मक नाम दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर :– 276 / 2024 GCMS No. – 2024/512
निर्णय दिनांक :– 01/12/25

वादी की ओर से श्री विजय सिंह शेखावत एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 01 की और से स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01/12/25 को मेरे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि : –

"वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ढ़ाणी बाढ़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता सं. नया 222 एवं ग्राम जसरापुर जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. नया 43 में वादी को वर्तमान में दर्ज नाम **शेर सिंह पुत्र हरि सिंह** के स्थान पर **मन्दरूप सिंह पुत्र हरि सिंह** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 01/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:00:29 IST
Reason: SelfAttested